रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India.

असाधारण
EXTRAORDINARY.
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 1974/आषाढ़ 7, 1896
No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 1974/ASADHA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

*New Delhi the 28th, June, 1974*

**S.O. 397 (E).**—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 2826/18A/IDRA/69, dated the 9th July, 1969, read with the Order of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2542, dated the 8th July, 1971, and the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 363(E), dated the 30th June, 1973, the management of the undertaking known as Digvijay Spinning and Weaving Co. Ltd., Bombay, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above for a period upto and inclusive of the 8th July 1974 ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period upto and inclusive of the 8th July, 1975;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th July, 1975.

[No. F. 28013/49/74-NTC]

D. K. SAXENA, Joint Secy.

## औद्योगिक विकास मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1974

का० आ० 397 (अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2542, तारीख 8 जुलाई 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 2826/18ए/आइ डी आर ए/69, तारीख 9 जुलाई/1969 और भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 363(ङ), तारीख 30 जून, 1973 द्वारा दिग्विजय स्पीनिंग एण्ड विविंग कम्पनी लिमिटेड मुम्बई के नाम से ज्ञात उपक्रम का प्रबंधतन्त्र ऐसे प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा जिसे ऊपर द्वितीय वर्णित आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, 8 जुलाई, 1974 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त उपक्रम का प्रबंधतन्त्र उक्त प्राधिकृत नियंत्रण द्वारा 8 जुलाई, 1975 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए चालू रहना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश का प्रभाव 8 जुलाई, 1975 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए चालू रहेगा।

[सं० फा० 28013/49/74—एनटीसी]

डी० के० सेनसेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974